



प्रेस नोट

थाना कुरारा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुरारा पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत 1.मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कुरारा जनपद हमीरपुर में वांछित/फरार अभियुक्त अजय प्रताप निषाद पुत्र तुलसीराम निषाद निवासी परसी का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र करीब 32 वर्ष को ग्राम रघवा के पास से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है व अभियान के क्रम में ही ग्राम बचरौली नहर के पास से 2. मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कुरारा से ही सम्बन्धित अन्य अभियुक्तगण कपूर पुत्र राजबहादुर निषाद ग्राम गोकुल का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र 36 वर्ष के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 3. राहुल पुत्र अंमरसिंह निषाद निवासी ग्राम गोकुल का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र 27 वर्ष के पास से 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुये बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त अजय प्रताप निषाद पुत्र तुलसीराम निषाद निवासी परसी का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र करीब 32 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
2. अभियुक्त कपूर पुत्र राजबहादुर निषाद ग्राम गोकुल का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र 36 वर्ष के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
3. अभियुक्त राहुल पुत्र अंमरसिंह निषाद ग्राम गोकुल का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उम्र 27 वर्ष के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री पन्धारी सरोज
- 2.उ0नि0 श्री राकेश कुमार यादव
- 3.का0 जितेन्द्र कुमार
- 4.का0 मनोज गुप्ता
- 5.का0 यतीन्द्र कुमार
- 6.का0 आकाश पटेल
- 7.का0 नवीन कुमार

